कार्यालय मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोंक आगार।

क्रमांकः—मु0प्र0 / टोंक / सामा. / 2024 / 2712 दिनांक 27/6/24

संशोधित निविदा सूचना

इस कार्यालय के आदेश संख्या 2528 दिनांक 20.06.2024 द्वारा टोंक आगार की निम्नाकिंत बुकिंग घरो पर बुकिंग ऐजेन्सी (ऐजेन्ट) का आवंटन करने हेतु निविदा जारी की गई थी उक्त दिनांक 27.08.2024 को खोली जानी थी किन्तु अपरिहार्य कारणो से निम्नाकिंत बुकिंगो की निविदा फार्म जमा कराने / निविदा खोलने की अवधि में निम्नानुसार संशोंधन किया जाता है—

क्र0स0	बुकिग घर का नाम
01	टोंडारायसिंह
02	निवाई जयपुर साईड
03	निवाई जयपुर साईड
04	निवाई टोंक साईड
05	सवाईमाधोपुर चौराहा टोंक
06	देवली रोड डिपो टोंक
07	उनियारा
08	सरोली मोड
09	मालपुरा
10	डिग्गी मोड (मालपुरा) टोंक साईड
11	सोयला मालपुरा साईड
12	छान
उक्त सभी बुकिंगो घरो का अनुमानित वार्षिक व्यय राशि 700000 / —रूपये (लगभग) एवं बुकिग ऐजेन्ट को अधिकतम देय कमिशन दर 5 प्रतिशत होगी।	

इच्छुक निविदादाता मुख्य प्रबंधक कार्यालय टोंक में निविदा फॉर्म शुल्क 200 / —रू+जीएसटी एवं सुरक्षा राशि 2000 / —रूपयं जमा कराकर दिनांक 15.06.2024 से प्राप्त कर दिनांक 22.07.2024 समय 12.00 बजे तक जमा करांकर उक्त निविदा में भाग ले सकता है। निविदा उसी दिन समय 14.00 बजें मुख्य प्रबंधक कार्यालय टोंक में निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि 10000 / —रूपये एवं ईटीआईएम प्रतिभू राशि 20000 / —रूपये निगम कोष में जमा कराना होगा। जमा सुरक्षा / धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा। निविदा स्वीकार / निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। (शैष शर्ते निविदा फार्म के साथ संलग्न है।)

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार। o/c

क्रमांकः—मु0प्र0 / टोंक / सामा. / 2024 / 2712 दिनांक 27/6/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. श्रीमान उप महाप्रबंधक (आई.टी.) महोदय, मुख्यालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि में उक्त निविदा को निगम वेबसाईड पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. नोटिश बोर्ड कार्यालय एवं केन्द्रिय बस स्टैण्ड टोंक आगार।
3. कार्यालय पत्रावली।

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार।

बुकिंग ऐजेन्सी आवंटन हेतु शर्ते निम्नानुसार हैः—

1—सफल निविदादाता द्वारा प्रतिभू राशि 10000रू निगम कोष में जमा करानी होगी।

2—सफल निविदादाता द्वारा ई0टी0आई0एम0 मशीन धरोहर राशि 20000रू निगम कोष में जमा करानी होगी।

3—ई0टी0आई0एम0 मशीन में टिकिटों में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर या मशीन गुम होने पर लागत मुल्य निगम कोष में जमा कराने पर ही पुनः मशीन जारी की जा सकेगी।

4—ई0टी0आई0एम0 मशीन में टिकिटों की राशि/बेलेन्स बुंकिग से पूर्व नियनानुसार डलवाना होगा।

5—ऐजेन्सी जिस कार्य समय के लिए आवंटित की गई है उसकी प्रथम से अन्तिम वाहन बुक करेगें सभी वाहनें बुक नही करनें पर नियमानुसार शास्ति राशि बुकिग ऐजेन्ट से निगम द्वारा वसूल किया जावेंगा।

6—निगम की बसों के अतिरिक्त ऐजेन्ट किसी अन्य संस्थान की बस टिकिटों की बिक्री नही करेगां।

7.—बुकिग ऐजेन्ट प्रतिदिन वाहनों के बुकिग करने सम्बधित दस्तावेज जैसे डीएसए इत्यादि प्रतिदिन लेखाकार राजस्व कार्यालय में जमा करायेगां।

8—निगम रिकार्ड में हेराफेरी/काट छांट ओवर राईटिग आदि पाये जाने पर तथा यात्रियों से निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने पर ऐजेन्सी समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

9—प्रत्येक माह के अन्त में विक्रय किये गये टिकिटों का विक्रय लेखा प्रत्येक माह की पांच तारीक तक प्रस्तुत करना होगा।

10—बुकिग ऐजेन्ट को स्वयं के खर्चे पर विक्रय काउन्टर स्थापित करना यदि निगम द्वारा उक्त काउन्टर एवं अन्य सुविधाए जैसे बिजली पानी उपलब्ध कराने पर मासिक खर्चा ऐजेन्ट को जमा कराना होगा।

11—बुकिंग ऐजेन्ट को प्रथम बार ऐजेन्सी एक वर्ष के लिए दी जावेगी कार्यव्यवहार संन्तोषप्रद पाये जाने पर ऐजेन्सी अवधि बढाई जा सकेगी।

12—ऐजेन्ट यदि ऐजेन्सी स्वयं की ईच्छा से छोडना चाहे तो इस कार्यालय में 30 दिवस पूर्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करें तथा तथा रिफण्ड राशि में से 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में काटी जावेगी।

13—बुकिंग ऐजेन्ट मुख्य प्रबंधक की बिना पूर्व अनुमति के बुकिग कार्य से अनुपस्थित होता है तो मुख्य प्रबधंक उसको हटाने के लिए सक्षम होगा परन्तु यदि मुख्य प्रबंधक से पूर्व अनुमति लेकर किन्ही कारणवश बुकिंग कार्य से अनुपस्थित रहता है तो मुख्य प्रबंधक ऐसी अल्प अवधि के लिए ऐजेन्ट के द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को बुकिग कार्य के लिए अधिकृत कर सकेगें जिसका फोटो एवं अन्य विवरण कार्यालय में रखें जावेगें।

14—यदि किन्ही कारणों से ऐजेन्सी धारक द्वारा अनुबन्ध की अवधि पूर्ण नही की जाती है या अनुबन्ध की शर्तो का पालन नही किया जाता है तो निगम उसकी प्रतिभू राशि जप्त करते हुए ऐजेन्सी बिना सूचना अथवा नोटिस के समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा

15—अनुबंध की शतों में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा निर्णित पंच निर्णय अन्तिम होगा।

16—जहा पर निगम की कियोस्क स्थापित है उसका आगारीय कमेटी द्वारा निर्धारित किये जाने वाला किराया / बिजली खर्चा पृथक से देय होगा।

17—अनुबंध की उक्त शर्ते ऐजेन्ट को सौ रूपये के नान ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी प्रमाणित कराकर निगम कार्यालय में जमा कराना होगा।

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार।

निविदा फार्म

श्रीमान मुख्य प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम
टोंक आगार।

विषयः– बुकिंग ऐजेन्सी स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र।

श्रीमान,

निवेदन है कि मै ....(स्टैण्ड का नाम) स्थान के लिये निगम की वाहनों के टिकिट बिक्री हेतु 1 वर्ष के लिये दर ....प्रतिशत में बुकिंग ऐजेन्सी लेना चाहता हुँ।

मेरी योग्यता और अनुभव निम्न प्रकार हैं–
नामः–
पिता का नामः–
उमः–
स्थाई पताः–
व्यवसायः–
पूर्व अनुभवः–

मे यह धोषणा करता है कि :–मैने ऐजेन्सी स्वीकृति हेतु कोई प्रार्थना–पत्र अन्य स्थान के लिये प्रस्तुत नही किया है। मुझें निगम व अन्य स्थान संस्था द्वारा सेवा से बर्खास्त / सेवामुक्ति /हटाया नही किया गया हैं मैने ऐजेन्सी से सम्बधित शर्ते पढ ली तथा समझ ली है। और मै इन शर्तो को मानने की स्वीकृति देता हूॅ।

निगम से जो भी निर्देश समय–समय पर प्राप्त होगें उन्हे मानने के लिये मै बाध्य हूॅ। मुझे ऐजेन्सी स्वीकृत होती है तो अनुबन्ध पत्र भरने को तैयार हूॅ।
संलग्नः–

भवदीय